सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 15/2018

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारॉ (सायल)

बनाम

श्री धनराज पुत्र प्रभुलाल जाति मेधवाल निवासी भंवरा हाल बम्मोरी थाना अन्ता जिला बारां (गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. (सायल)

2– श्री मोहन पंकज अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 23.07.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री धनराज पुत्र प्रभुलाल जाति मेधवाल निवासी भंवरा हाल बम्मोरी थाना अन्ता जिला बारां के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारॉ ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना अन्ता क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति अवैध जुआ सटट्ा, मारपीट एवं अवैध शराब क्रय–विक्रय की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरूद्व पुलिस थाना अन्ता में वर्ष 2006 से 2018 की अवधि में 03 प्रकरण जुआ सटट्ा अधिनियम अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत, 01 प्रकरण मारपीट अन्तर्गत धारा 45, 323, 34 भादस एवं 01 प्रकरण अवैध शराब अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साईज एक्ट के तहत कुल 05 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिसमें से यह 03 प्रकरणों में जुआ सटट्ा अधिनियम अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत एवं 01 प्रकरण अवैध शराब अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साईज एक्ट के तहत न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरूद्ध धारा 41/110 जो0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चूकी है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नही है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरूद्व दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	नतीजा	निर्णय न्यायालय
1.	212 / 2006	13 आरपीजीओ	158 / 27.09.2006	सजा / 03.10.2006
2.	145 / 2008	452, 323, 34 भादस	130 / 29.05.2008	दोषमुक्त / 09.11.2012
3.	229 / 2015	19 / 54 एक्साईज एक्ट	172 / 24.08.2015	सजा / 08.01.2016
4.	185 / 2017	13 आरपीजीओ	144 / 22.05.2017	सजा / 30.05.2017
5.	124 / 2018	13 आरपीजीओ	51 / 13.04.2018	सजा / 23.04.2018

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता मे भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को 03 प्रकरणों में जुआ सटट्ा अधिनियम अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत एवं 01 प्रकरण अवैध शराब अन्तर्गत धारा 19 / 54 एक्साईज एक्ट के तहत न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 01.11.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर, जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अन्ता में वर्ष 2006 से 2018 की अवधि में 03 प्रकरण जुआ सटट्ा अधिनियम अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत, 01 प्रकरण मारपीट अन्तर्गत धारा 45, 323, 34 भादस एवं 01 प्रकरण अवैध शराब अन्तर्गत धारा 19 / 54 एक्साईज एक्ट के तहत कुल 05 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिसमें से यह 03 प्रकरणों में जुआ सटट्ा अधिनियम अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत एवं 01 प्रकरण अवैध शराब अन्तर्गत धारा 19 / 54 एक्साईज एक्ट के तहत न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरूद्ध धारा 41 / 110 जो0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चूकी है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नही है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक

है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखो से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल मय अभिभाषक उपस्थित होकर जिला बदर की कार्यवाही मे पुलिस थाना सीमलिया जिला कोटा किया जाकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूॅ। मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूॅ। मेरा गॉव यहॉ से 25 किलोमीटर दूर पडता है। तारीख पेशी पर आने से उस दिन की मजदूरी भी छूट जाती है। अतः मैं स्वंय की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर की कार्यवाही मे पुलिस थाना सीमलिया जिला कोटा करवाकर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहता हूॅ। मेरे विरूद्व पुलिस थाना अन्ता द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही मे मुझे पुलिस थाना सीमलिया जिला कोटा किया जाकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जावे। जिसमे मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अन्ता में वर्ष 2006 से 2018 की अवधि में 03 प्रकरण जुआ सटट्ा अधिनियम अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत, 01 प्रकरण मारपीट अन्तर्गत धारा 45, 323, 34 भादस एवं 01 प्रकरण अवैध शराब अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साईज एक्ट के तहत कुल 05 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिसमें से यह 03 प्रकरणों में जुआ सटट्ा अधिनियम अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत एवं 01 प्रकरण अवैध शराब अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साईज एक्ट के तहत न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरूद्ध धारा 41/110 जो0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चूकी है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि श्री धनराज पुत्र प्रभुलाल जाति मेधवाल निवासी भंवरा हाल बम्मोरी थाना अन्ता जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्व है, क्योकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को 03 प्रकरणों में जुआ सटट्ा अधिनियम अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत एवं 01 प्रकरण अवैध शराब अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साईज आरपीजीओं के तहत न्यायालय से दोषी ठहराया हुआ है।

अतः श्री धनराज पुत्र प्रभुलाल जाति मेधवाल निवासी भंवरा हाल बम्मोरी थाना अन्ता जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना अन्ता क्षेत्र से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल श्री धनराज पुत्र प्रभुलाल जाति मेधवाल निवासी भंवरा हाल बम्मोरी थाना अन्ता जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना अन्ता से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि मे अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना सीमलिया जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधी में भाग नही लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/– रूपये का स्वंय का मुचलका इस अवधि मे नेकचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 10.08.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सीमलिया जिला कोटा को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना अन्ता क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना सीमलिया जिला कोटा के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां